

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Civil Second Appeal No. 99/2023

Mani Ram S/o Shri Bhera Ram, Aged About 66 Years, Resident
Of Nagrasari, Tehsil Nohar, District Hanumangarh.

----Appellant

Versus

Mangatu Ram S/o Shri Hansram, Resident Of Nagrasari, Tehsil
Nohar, District Hanumangarh.

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. GR Bhari
For Respondent(s)	:	Mr. RS Choudhary Mr. Amit Saran

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

15/07/2025

01. अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 100 सीपीसी के तहत विद्वान विचारण न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, नोहर, जिला हनुमानगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांकित 01.09.2018 व उसके विरुद्ध विद्वान अपीलीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, नोहर, जिला हनुमानगढ़ में की गई अपील के निर्णय व डिक्री दिनांकित 02.11.2022 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

02. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रत्यर्थी—वादी की ओर वाद पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि वादी अपने पट्टेशुदा जगह पर काबिज है और दक्षिण पश्चिम की तरफ की 10 फुट जगह गली की तरफ वादी ने खुली छोड़ रखी है, वादी ने अपने भूखण्ड में कमरा निर्माण के लिए ईंटे डाल रखी है, परंतु प्रतिवादी वादी के भूखण्ड में उत्तर की तरफ की 10 फुट जगह अपनी बताकर जानबूझकर दखल देकर अवैध कब्जा करने व वादी के निर्माण कार्य में दखल देने पर आमादा है और जानबूझकर वादी के भूखण्ड में अतिक्रमण करने पर आमादा है जिसे वादी, प्रतिवादी को अपने भूखण्ड में दखल देने एवं निर्माण कार्य में बाधा डालने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रूका पाने का अधिकारी है और स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पाबंद किए जाने का निवेदन किया।

- 03.** अपीलार्थी-प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर काउंटर क्लेम किया गया कि प्रतिवादी के हिस्से में उत्तरी दक्षिण तरफ 25 फुट चौड़ा व पूर्व पश्चिम तरफ 100 फुट चौड़ी भूमि पर वादी द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया जावे।
- 04.** विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस मामले में तीन विवाद्यक कायम किए गए और वादी का वाद डिक्री किया एवं अपीलार्थी-प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर प्रथम अपील, अपीलार्थी द्वारा पेश की गई, जो अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2022 को खारिज की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील की गई है।
- 05.** अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में विभिन्न आधार वर्णित किए और अपनी अपील में 7 विधि के सारवान प्रश्न (Substantial question of law) प्रस्तावित किए गए।
- 06.** बहस एडमिशन अपील सुनी गई।
- 07.** विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-प्रतिवादी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब अपीलार्थी-प्रतिवादी का कब्जा ही 50 गुणा 100 फुट का है, तो उस अवस्था में 10 फुट गली के लिए छोड़ने के पश्चात् भी 50 गुणा 100 फुट पर काबिज होने का जो आधार लिया गया है और इस बाबत् कमिश्नर रिपोर्ट भी हुई है, उस अवस्था में दोनों न्यायालयों का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से प्रस्तावित विधि के सारवान प्रश्न (Substantial question of law) बनाए जाने का निवेदन किया।
- 08.** विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-वादी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में प्रतिवादी का पट्टा प्रदर्श ए-1ए 45 गुणा 100 फुट का है और वादी का पट्टा प्रदर्श-1 100 गुणा 55, 5500 वर्गफुट यानि कुल 1375 वर्गगज का है, जिसमें पश्चिम दिशा 60 फुट की है और पश्चिमी दक्षिणी कोने पर 10 फुट हिस्सा छोड़कर मौके पर कुल 50 गुणा 100 फुट पर काबिज है, इसी बाबत् ही अभिवचन में अंकन किया गया है और नजरी नक्शा में भी स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है और कमिश्नर रिपोर्ट में भी वादी का कब्जा 50 गुणा 100 फुट पर होना स्पष्ट है। इस मामले में दोनों न्यायालयों द्वारा तथ्यों व साक्ष्यों पर विचार कर विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। इस मामले में ऐसे कोई विधि के सारवान प्रश्न (Substantial question of law) उत्पन्न नहीं होते हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा सके और किसी प्रकार के विधि के सारवान प्रश्न (Substantial question of law) नहीं होने का निवेदन करते हुए अपील एडमिशन की स्टेज पर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

09. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया तथा वादी का पट्टा प्रदर्श-1 व प्रतिवादी का पट्टा प्रदर्श ए-1ए का अवलोकन किया तथा कमिशनर रिपोर्ट प्रदर्श-4ए व रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा प्रदर्श-3ए पर विचार किया गया। प्रदर्श-3 व 4 के संबंध में स्वीकृत रूप से कोई आपत्ति विचारण के दौरान अपीलार्थी-प्रतिवादी द्वारा विचारण न्यायालय में नहीं की गई और मौके पर अपीलार्थी-प्रतिवादी स्वयं के पट्टेशुदा भूमि 45 गुणा 100 से कम भाग पर काबिज हो, ऐसा न तो अभिवचन है और न ही साक्ष्य आई है और कमिशनर रिपोर्ट में भी प्रतिवादी के भूखण्ड के नाप जोख नहीं होने के बावजूद भी कोई आक्षेप इस मामले में नहीं किए गए और प्रत्यर्थी-वादी द्वारा 50 गुणा 100 फुट पर काबिज होना और दक्षिण पश्चिम हिस्सा 10 फुट छोड़ा हुआ होना बताया है, जो नक्शे से ही पश्चिमी ओर 60 फुट होने से 10 फुट किनारे का हिस्सा छुटा हुआ होना स्पष्ट है।

10. इस मामले में प्रथम दृष्ट्या ऐसा मामला नहीं है कि दोनों न्यायालयों द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार ही न किया गया हो। दोनों न्यायालयों का निर्णय तथ्यों व साक्ष्यों पर आधारित है। इस मामले में कोई विधि के सारवान प्रश्न (Substantial question of law) प्रथम दृष्ट्या ही बनना नहीं पाए जाते हैं। अपीलार्थी द्वारा जो विधि के सारवान प्रश्न (Substantial question of law) अपनी अपील में प्रस्तावित किए गए हैं, उसमें 2 से 5 व 7 केवल तथ्यात्मक प्रश्न ही है। जहां तक प्रस्तावित विधि के सारवान प्रश्न (Substantial question of law) 1 व 6 का प्रश्न है, इस मामले में पक्षकारान के वाद में ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार हो, इस बाबत् कोई आक्षेप प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावे में नहीं किया गया।

11. इस स्टेज पर जो विधि के सारवान प्रश्न (Substantial question of law) होना प्रस्तावित किए गए हैं, वह हस्तगत मामले के तथ्यों, परिस्थितियों में बनाए जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होते। ऐसी अवस्था में अपीलार्थी की यह अपील किसी प्रकार के विधि के सारवान प्रश्न (Substantial question of law) के अभाव में एडमिशन की स्टेज पर ही खारिज किए जाने योग्य है।

12. अतः अपीलार्थी-प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 100 सीपीसी एडमिशन की स्टेज पर ही खारिज की जाती है। तदनुसार पर्चा डिक्री कायम किया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J